कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड फाफामऊ
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०
261,ए शान्तीपुरम,प्रयागराज
CIN-U31200UP2003SGC027461

ई–मेलःeddphaphamau@gmail.com
फोन नं०– 0532-2447104

पत्रांक सं० : 245 /वि०वि०खं०फा०प्र०/नये संयोजन दिनांकः 09/01/023

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा निम्नलिखित आवेदक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विधा एवं भार के लिये संयोजन अनुमन्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है:–

क्र० सं०	आवेदक का नाम व पता	विधा/भार	मो०नं०	आवेदन संख्या एवं प्रक्रमण शुल्क धनराशि का विवरण (चालान न०/ट्रान्जेक्शन आई०डी०/धनराशि)	उपखण्ड का नाम
1	DEVENDRA YADAV S/O MAHADEV YADAV, DUBEY KA PURWA HOLAGARH	3 HP	9794537649	1008235881/ P53575667/ YUR31660085404/ Rs. 100.00	SORAON
2	RAM MURAT S/O RAM AVTAR, GATA NO 176 SORAON	3 HP	7459823035	1008235908/ P53575734/ YUR31660209841/ Rs. 100.00	SORAON
3	samar bahadur S/O RAM ADHAR, BARAMAU, HOLAGARH	3 HP	9651939964	1008236306 / P53576840 / YHD41662811494 / Rs. 100.00	SORAON
	GULAB SINGH S/O BRIJ LAL, GOHARI SORAON	3 HP	9936437671	1008236381 / P53577043 / YSM21664047963 / Rs. 100.00	SORAON

1. यदि आवदेक स्वीकृत समय के अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उपयोग करते पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।
2. विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी–
   (अ) निजी नलकूप पम्पिंग सेट नहरों से 100 मी० की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
   (ब) यदि आवेदक किसी अन्य कृषक को जिसकी भूमि राजकीय सिंचाई के साधनों के क्षेत्र के अन्दर आती है, यदि पानी देते हुये पाया जायेगा तो उसका कनेक्शन उसी समय बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
3. यदि उक्त आवेदक का कनेक्शन उस जगह पर कभी समाप्त किया जा चुका हो तो उस जगह पर आवेदक को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कनेक्शन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक पुराने कनेक्शन पर विद्युत खपत की धनराशि जमा नहीं कर देते है।
4. समय–समय पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/निगम द्वारा निर्गत सभी आदेश प्रभावी समझे जायेंगे।
5. आवेदक यदि अपनी साइट का निरीक्षण नहीं करवाता है अथवा टी०सी० निर्गत होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर नियम एवं शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध नहीं करता है तो आगे की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
6. आवेदक को कनेक्शन देने में विलम्ब की कार्यवाही पर क्षतिपूर्ति का दावा अमान्य होगा।
7'. आवेदक को आवदेन दिनांक से 6 माह के अन्दर यदि कोई टी०सी० या नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप में प्रार्थनापत्र सहित मिले।
8. विभाग/शासन द्वारा निजी नलकूप कनेक्शन देने के प्रतिबन्ध पर जारी सभी नियम समय–समय पर लागू रहेंगे।
9. उपभोक्ता की जमीन पर किसी भी वाद–विवाद के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
10. उपरोक्त स्वीकृति उपभोक्ता की स्वेच्छा पर है। कनेक्शन देने या न देने का पूर्ण अधिकार निगम को सुरक्षित है।

..........2

11. किसी भी विवादित स्थल पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। विभाग का अधिकार सुरक्षित है।
12. आवदेक को संयोजन स्थल का निरीक्षण स्वयं करवाना होगा।
13. उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार की वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवदेक की होगी और माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा।
14. संयोजन/सामग्री का निर्गमन वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक सं0 : /वि0वि0खं0फा0प्र0/नये संयोजन /तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–सोरांव/फाफामऊ/होलागढ़/मऊआइमा को सूचनार्थ एवं आवेदक का प्राक्कलन खण्डीय कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. खण्ड विकास अधिकारी, कौड़िहार/होलागढ़/सोरांव/मऊआईमा।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–फाफामऊ।
4. आवदेनकर्ता को इस आशय से प्रेषित है कि वह सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर 1 माह के अन्दर साइट का निरीक्षण करवाये अन्यथा प्रार्थनापत्र पर आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

अधिशाषी अभियन्ता